फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

...र्थी :— शोभादेवी पत्नी नाथुराम वगैरह **बनाम** :—अप्रार्थी :— घनश्याम पुत्र नारायणराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मु.नं. 182/सन 2021

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
...2021	वकील प्रार्थीया उपस्थित।	

वकील प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण मे स्थित खसरा नम्बर 1121/2 रकबा 1.7321 हैक्टर भूमि आयी हुई हैं। उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थीया अपने हक हिस्सेनुसार माफिक खरीदनुसार काश्त करती चली आ रही हैं। वर्णित आराजी में से अप्रार्थी सं. 4 से 6 का 4/6 वॉं हिस्सा जरिये खरीद के अप्रार्थीगण द्वारा करवाये गये पंजीबद्ध लेखन के अनुसार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 व 2 भी काबिज खातेदार एवं काश्तकार हैं। लेकिन मौके पर पक्षकारान् में बंटवाड़ा नहीं हो रखा हैं। उक्त आराजी का कानूनी रूप से बाई मिट्स एण्ड आउण्ड्स के बंटवाड़ा नही होने से सायना के कब्जे काश्त में दखलदांजी करते हैं। प्रार्थीया का नामान्तरकरण नही होने से अप्रार्थी सं. 4 से 6 अप्रार्थी सं. 1 व 2 से मिलीभगत कर उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमदा हैं जबकि उक्त आराजी का वक्त बैचान ही कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने हेतु कहने पर स्पष्ट रूप से मना कर दिया। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया अपनी खरीदसुदा आराजी के कब्जे काश्त में दखलदांजी, बेदखल कर बाधा अड़चन नही करे, किसी प्रकार से दखलदांजी नही करें व रहन बैचान हस्तान्तरण नही करे एवं रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। 1006 2/11/21

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया, अतः आगामी तारीख पेशी तक रहन, बैचान, हस्तान्तरण, नही करे अप्रार्थीगण सं. 4 से 6 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी एवं विरूद्ध अप्रार्थीगण सं. 4 से 6 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण मे स्थित खसरा नम्बर 1121/2 रकबा 1.7321 हैक्टर भूमि आयी हुई हैं। आगामी तारीख पेशी तक रहन, बैचान, हस्तान्तरण, नही करें अप्रार्थीगण सं. 4 से 6 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 09.12. 2021 वास्ते जवाब प्रा0प0 पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:43:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

16/11/21 प्रार्थिया के प्रा० पत्र पर पत्रावली शालोपेश हुई। मूल वाद में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र बाबत वादपत्र विड्रोल करने बाबत पेश किया। प्रार्थिया का मूल वाद जरिए विड्रोल खारिज हो चुका है। मूल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वाद खारिज होने से अब इस प्रा०पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने से व प्रभावहीन होने से प्रार्थिया का प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्यागार जमा हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:43:32 IST
Reason: SelfAttested